मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 11(5)-2 जी०एस०-I-79 दिनांक 31-5-79 की प्रति ।

विषय :—सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली-1966 के नियम 5(I) के अन्तर्गत रैलीज में हिस्सा लेने बारे ।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आप का ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाऊं तथा भारत सरकार, गृह विभाग द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 5(I) के बारे में जारी की गई हिदायत क्रमांक 28034/5/78-दिनांक 1-9-78 की प्रति अनुलग्नक सहित आप को भेजूं । हरियाणा राज्य में सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली 1966 के नियम 5(I) में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है जैसी की केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 5(I) में है अतः आप से अनुरोध है कि इस बारे भारत सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतें अपने अधीन काम कर रहे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में ला दी जाए ।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।